जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(परीक्षा : पोस्ट–परिणाम अनुभाग)

क्रमांक : जनावि / परीक्षा / 2024 / 2936 दिनांक : 15/7/24

समस्त प्राचार्य
संबद्ध महाविद्यालय (राजकीय एवं निजी)
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर।

विषयः–वर्ष 2021 से नियमित विद्यार्थियों की मूल उपाधि सुपुर्दगी बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 14 जून, 2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक जनावि / परीक्षा / 2024 / 2831 दिनांक 08.07.2024 (आदेश प्रति संलग्न) के तहत् निजी एवं राजकीय महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों की उपाधियां संबंधित महाविद्यालयों को सुपूर्द करने का निर्णय लिया गया है। संबद्ध निजी महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों की मूल उपाधियां प्राप्त करने हेतु 500 / – रू के Judicial Stamp Paper पर शपथ–पत्र प्रदान करना होगा। (प्रारूप प्रति संलग्न)

उपाधियां महाविद्यालय अनुसार वितरण करने हेतु आपको पृथक से सूचना जल्द ही प्रेषित कर दी जायेगी।

भवदीया,

सहायक कुलसचिव

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

क्रमांक : जनावि / परीक्षा / 2024 / दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है–

1. निजी सचिव कुलपति / निजी सहायक कुलसचिव महोदय,जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर।
2. समस्त शाखा प्रभारी, परीक्षा : पोस्ट–परिणाम अनुभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर।

सहायक कुलसचिव

इन उपाधियों के संबंध में संबंधित निजी महाविद्यालय से 500/– रू के Judicial Stamp Paper पर शपथ–पत्र लिया जा सकता है, जिसका प्रारूप निम्मानुसार है –

घोषणा एवं सहमति पत्र

मैं.....पुत्र श्री .....प्राचार्य/प्राचार्या.....
(महाविद्यालय का नाम) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :

1. उपाधि हेतु विद्यार्थी से किसी प्रकार के शुल्क की मांग नही जायेगी।
2. उपाधि हेतु विद्यार्थियों को किसी प्रकार से अनावश्यक परेशान नही किया जायेगा।
3. विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश की पालना करते हुए उपाधियां वितरित की जायेगी।
4. किसी विद्यार्थी द्वारा उपाधि प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय में परेशान करने तथा शुल्क की मांग के संबंध में शिकायत प्रेषित करता है तो अगर महाविद्यालय दोषी पाया जाता है तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर महाविद्यालय के खिलाफ अनुशासनात्क कार्यवाही कर सकता है तथा शास्ति भी लगाई जा सकती है। जिससे महाविद्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।
5. उपाधि प्रदान करने में महाविद्यालय का कोई कर्मचारी अनियमितता करता है तो विश्वविद्यालय उक्त कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्क कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है जिसके लिए महाविद्यालय सम्पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय में सहयोग करेगा।
6. किसी कारणवश महाविद्यालय मान्यता समाप्त होने के कारण महाविद्यालय बंद हो जाता है तो शेष उपाधियां विश्वविद्यालय में जमा करवा दी जायेगी। अगर इसमें किसी प्रकार की लापरहवाही बरती जाती है तो विश्वविद्यालय संबंधित प्राचार्य/निदेशक/कर्मचारी या अन्य संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्क तथा विधिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। जिससे महाविद्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।
7. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी नियम एवं दिशा–निर्देशों की सम्पूर्ण रूप से महाविद्यालय द्वारा पालना की जायेगी।

प्राचार्य